आवश्यक/महत्वपूर्ण/द्वारा फैक्स/ई-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर-1, चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग, सेक्टर-7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

संख्या: दस-393-2022 (9) दिनांक:लखनऊ: जनवरी 30, 2025

सेवा में,

1- समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय: आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण/चरित्र सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से निकट भविष्य में प्राप्त होने की सम्भावना है।

2- उक्त के दृष्टिगत कमिश्नरेट/जनपद/मण्डल स्तर पर चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु नोडल आफीसर (राजपत्रित अधिकारी) को नामित कर नामांकन इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

3- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1/2017/1569/छः-पु-1-17-54-2015, दिनॉक: 17-08-2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 के नियम-15(6) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत् है:-

नियम-15(6) चिकित्सा परीक्षा

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन(3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत **"पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र"** के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।

(ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनॉक के पश्चात् किसी दिनॉक को दाखिल की जाती है।

(घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा।

(ड.) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेगे। परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेगें, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियॉं अगले चयन के लिए अग्रनीत की जायेगी।

4- चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक माप में निदेशक, बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा, इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर

जनपदीय चिकित्सा बोर्ड तथा प्रत्येक मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, स्वास्थ्य से समन्वय स्थापित कर मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड को गठन कर लिया जाय।

5— चयनित महिला अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण के दृष्टिगत जनपदीय चिकित्सा बोर्ड में एक महिला अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।

6— कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर चिकित्सा एवं चरित्र सत्यापन हेतु नामित किये जाने वाले पुलिस उपाधीक्षक(नोडल अधिकारी) तथा मण्डल स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी) तथा प्रतिसार निरीक्षक एवं सम्बन्धित प्रधान लिपिक/सम्बन्धित सी0आर0के0/भर्ती लिपिक व सहायक (जिनके द्वारा आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती का कार्य देखा जा रहा है) के नाम/जी—मेल आईडी**(यदि उपलब्ध न हो तो तत्काल बनाकर)**/वाट्स—एप एवं सी0यू0जी0 नम्बरों की सूची गूगल सीट https://bit.ly/2024constable जो पूर्व में आपके कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0मेल0 आई0डी0 पर भेजा जा रहा है को भरते हुए उसकी हार्ड प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, साथ ही यदि किसी अधिकारी/सहायक का स्थानान्तरण तत्समय कही हो जाता है तो उनके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी के नाम/जी—मेल आईडी/वाट्स—एप एवं सी0यू0जी0 नम्बर की सूचना उसी दिन निम्न प्रारूप में गूगल सीट https://bit.ly/2024constable में भरते हुए उसकी हार्ड प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगीः—

क्र0सं0	नाम संबंधित अधिकारी/सहायक	पदनाम	व्यक्तिगत—सी0यू0जी0 नम्बर	वाट्स—एप नम्बर	संबंधित अधिकारी/सहायक/कार्यालय का जी—मेल आईडी
1	2	3	4	5	6

7— इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि उपरोक्त भर्ती के सम्बन्ध में भविष्य में जो भी सूचना अल्पसमय में इस मुख्यालय द्वारा मॉगी जायेगी वह गूगल सीट में मॉगी गयी प्रारूप में भरते हुए उसकी हार्ड प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

8— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्तरों में निहित निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को गूगल शीट में अपलोड करते हुए उसकी हार्ड प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नचिकेता झा)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः महानिदेशक, चिकित्सा एवं सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त परिपत्र पुलिस की बेवसाइट http://uppolice.gov.in पर भी अपलोड करने का कष्ट करें।

https://bit.ly/2024constable